बिहार सरकार
परिवहन विभाग

मार्गदर्शिका–2015

आम निर्वाचन के सफल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु चुनाव कार्य से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों, चुनाव सामग्रियों, सुरक्षा कर्मियों आदि के सुगम आवागमन हेतु बड़ी संख्या में वाहनों के अधिग्रहण की आवश्कता होती है। इन वाहनों के अधिग्रहण, इनका सदुपयोग, इनके मुआवजा राशि का भुगतान एवं वाहनों की विमुक्ति नियामानुकूल एवं यथा समय किये जाने की आवश्यकता होती है। अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा भुगतान अथवा समय पर वाहनों की विमुक्ति नहीं होने के कारण राज्य सरकार के विरूद्ध न्यायालय में वाद भी दाखिल होने की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना न हो इस उद्देश्य से इस मार्गदर्शिका को तैयार कर तद्नुसार कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न कोटि के वाहनों के अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है:–

1. वाहनों की आवश्यकता का आकलन :–

निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की आवश्यकताओं का भलीभाँति आकलन कर ही जिला निर्वाचन पदाधिकारियों–सह–जिला पदाधिकरियों द्वारा वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहनों का अधिग्रहण निर्वाचन तिथि के बहुत पहले (यथा 15–20 दिनों पूर्व) कर लिया जाता है। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढता है साथ ही परिचालन के साथ माल ढुलाई भी वाधित होता है। अतएव, निर्वाचन कार्य हेतु वाहनों का अधिग्रहण युक्तियुक्त तरीके से किया जाना आवश्यक है, जिससे निर्वाचन कार्य भी बाधित न हो ।

2. वाहन कोषांग का गठन :–

निर्वाचन के अवसर पर प्रत्येक जिले में वाहनों के अधिग्रहण, निर्वाचन में परिचालन, लॉगबुक एवं वाहन पंजी के संधारण, वाहन की विमुक्ति आदेश, मुआवजा भुगतान आदि के लिए वाहन कोषांग का गठन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के पूर्व अनुभवी कर्मियों को वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं कर्मचारी रूप में प्रतिनियुक्त करते हुए उन्हे पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा का भुगतान जबतक पूर्ण नहीं हो जाता, तबतक जिला वाहन कोषांग को आवश्यक स्टाफ के साथ कार्यरत रखा जाएगा ।

3. पंजियों का संधारण एवं वाहन मालिको से बैंक विवरणी प्राप्त करना :–

प्रत्येक वाहन कोषांग में आवश्यक पंजियाँ अनिवार्य रूप से संधारित की जाएँगी। यदि किसी जिले में एक से अधिक स्थान पर वाहन कोषांग कार्यरत हो तो ऐसे सभी केन्द्रों पर पंजियाँ अनिवार्य रूप से संधारित की जाएगी।

वाहनों के अधिग्रहण के साथ ही वाहन स्वामियों के बैंक खाता संख्या, संबंधित बैंक के शाखा का नाम, IFSC/Branch Code की विवरणी प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उसकी प्रविष्टी निर्वाचन विभाग के वेबसाईट http://ceobihar.nic.in के Vehicle Management System में किया जा सके।

(i) **वाहन अधिग्रहण पंजी**:– इस पंजी में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक वाहन के अधिग्रहित होने, किसी नए जिले में स्थानान्तरित किये जाने, विमुक्त होने की तिथि एवं मुआवजे की राशि अंकित की जाएगी। यह पंजी प्रपत्र–1 में संधारित की जाएगी।

(ii) **वाहन का लॉग बुक**:– प्रत्येक वाहन के लिए एक लॉगबुक खोली जाएगी, जिनमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनायें अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी :–

(क) वाहन की निबंधन संख्या
(ख) वाहन मालिक का नाम
(ग) चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या एवं पता
(घ) अधिग्रहण की तिथि
(ड़) समय–समय पर दिये गये ईंधनादि का विवरण
(च) अग्रिम राशि का विवरण
(छ) गाड़ी परिचालन का विवरण
(ज) वाहन के मुआवजा भुगतान की राशि की गणना
(झ) अंतिम भुगतान की राशि।

वाहनों के लॉग बुक का नम्बर निर्वाचन विभाग के वेबसाईट http://ceobihar.nic.in के Vehicle Management System से Auto Generated होगा। इसकी एक प्रति लॉग बुक में चिपकायी जाएगी।

4. अर्द्धसैनिक /पुलिस बलों के उपयोग हेतु वाहनों से संबंधित दिशानिर्देश:–

(i) सी0पी0एफ0/होमगार्ड/पुलिस हेतु अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु एक ही लॉगबुक होगी । एक जिले से दूसरे जिले भेजे जाने के पूर्व सभी ऑकड़ों की प्रविष्टि करते हुए इस लॉग बुक को प्राधिकृत/अधिकृत पदाधिकारी को हस्तगत करायी जाएगी । यह लॉग बुक ज्यादा पृष्ठों की होगी।

(ii) किसी जिला में अधिग्रहित वाहन को यदि दूसरे जिला में निर्वाचन कार्य से भेजा जाता है तो उक्त जिला में जाने हेतु ईंधन की आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाएगा। पुनः नया जिला इसी प्रक्रिया को अपनायेंगे । जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह– जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिग्रहित जिला द्वारा वाहन को नए जिले में भेजने के पूर्व उक्त वाहन को भुगतेय पूरी राशि (100%) का भुगतान कर दिया गया है एवं इसकी प्रविष्टि लॉगबुक तथा Vehicle Management System में की गई है । उक्त लॉगबुक की छायाप्रति वाहन कोषांग द्वारा संधारित रखी जाएगी। छायाप्रति हेतु पूर्व से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) अर्द्धसैनिक/पुलिस बलों के उपयोग में लाई जा रही वाहनों का भुगतान शीर्ष 2055 से किया जाएगा। इस कार्य हेतु प्रत्येक वाहन कोषांग में आवश्यकतानुसार कर्मी/पदाधिकारी/काउन्टर अलग से कर्णांकित किए जायेंगे तथा इसके लिए समर्पित कम्प्यूटर एवं ऑपरेटर रखा जाएगा।

5. अधिग्रहण संबंधी सूचना वेबसाईट पर डालना :–

अधिग्रहित वाहनों के संबंध में यथासंभव अधिग्रहण तिथि को ही एवं अधिक से अधिक अगले दिन तक वाहन अधिग्रहण पंजी में (प्रपत्र–1) में अंकित सभी सूचनाएँ निर्वाचन विभाग के वेबसाईट http://ceobihar.nic.in के VMS पर भी प्रविष्टी की जायगी। इस वेबसाईट को प्रत्येक दिन अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक जिला में निर्वाचन के समय वाहन कोषांग के गठन के साथ ही अलग से पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर एवं ऑपरेटर रखा जाए। वाहन कोषांग को सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु पदाधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम गठित की जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी को निर्वाचन विभाग के वेबसाईट http://ceobihar.nic.in के VMS हेतु पर ऑनलाईन प्रविष्टी एवं कार्य की समीक्षा/प्रगति के लिए पासवर्ड (Password) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा।

संबंधित जिले के संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी अपने जिले के वाहन कोषांग का फोन नं0 निर्वाचन विभाग एवं परिवहन विभाग के वेबसाईट पर डालने हेतु इन विभागों को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

जिले में अधिग्रहित सभी वाहनों (जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड) की सम्पूर्ण प्रविष्टि निर्वाचन समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निर्वाचन विभाग के वेबसाईट http://ceobihar.nic.in के Vehicle Management System में पूर्ण कर ली जाएगी । **15 दिनों के पश्चात मुख्यालय से अनुमति के बाद ही इसमें प्रविष्टि की अनुमति दी जाएगी ।**

6. सत्यापन पदाधिकारी :–

(i) लॉगबुक एवं वाहन पंजी को सत्यापित करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक अथवा किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी को सत्यापन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत करते हुए नामित किया जाएगा एवं इसकी सूचना परिवहन विभाग/निर्वाचन विभाग को भेजी जाएगी।

(ii) सत्यापन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी अधिग्रहित वाहनों के नंबर प्लेट के पास वाहन के ड्राइवर को खड़ाकर इस तरह फोटो लिया जाए कि वाहन की निबंधन संख्या तथा ड्राइवर का चेहरा साफ दिखाई दे। इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी संधारित किया जाएगा।

(iii) जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामित सत्यापन पदाधिकारी का यह मूल दायित्व होगा कि निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार की गई Vehicle Management System हेतु निर्गत पत्र/मार्गदर्शिका में अंकित दिशानिर्देशों का शतप्रतिशत पालन वाहन कोषांग में किया जाय ।

7. वाहन विमुक्ति की प्रक्रिया :–

(i) सामान्यतः अधिग्रहित वाहन या तो अधिग्रहित होने वाले जिले में ही विमुक्त कर दिया जाता है अथवा चुनाव कार्य के लिए अन्य जिलों में अधिग्रहित जिलों से ही भेजा जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में प्रत्येक वाहन की विमुक्ति के समय निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(क) प्रत्येक संबंधित वाहन के वाहन स्वामी अथवा चालक को एक विमुक्ति आदेश प्रपत्र–2 में निर्गत किया जाएगा। यह सिस्टम जेनरेटेड होगा।

(ख) विमुक्ति आदेश में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त संबंधित जिले में वाहन के कुल अधिग्रहित दिनों की संख्या, भुगतेय मुआवजा राशि का उल्लेख रहेगा।

(ग) वाहन पंजी में भी विमुक्ति आदेश में अंकित विवरणी के अनुरूप ही सत्यापन पदाधिकारी/ नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रविष्टि की जाएगी।

(घ) सत्यापन पदाधिकारी यह सुनिश्ति करेंगे कि वाहनों की विमुक्ति के पूर्व वाहनो के शत प्रतिशत मुआवजे का भुगतान किया गया है।

(ड0) निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार Vehicle Management System से सिस्टम जेनेरेट विमुक्ति/गणना तालिका निर्गत किया जायगा। साथ ही Log Book में इसकी प्रविष्टि की जायगी एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सुरक्षित रखी जायगी। इसके लिए आवश्यक है कि ईंधन, अग्रिम एवं अन्य व्यय संबंधी ऑकड़ों की प्रविष्टियॉ Vehicle Management System में निश्चित रूप से की जाय ।

(च) वाहन विमुक्ति अथवा किसी अन्य जिले में स्थानांतरित किये जाने की तिथि एवं समय।

(छ) वाहनों के अधिग्रहण की तिथि में पूर्वाह्न एवं अपराह्न अंकित किया जाएगा।

8. वाहन विमुक्ति के उपरांत अन्य प्रयोजन से अगर उक्त वाहन को पुनः उसी क्षेत्र में अधिग्रहित किया जाता है तो समरूप प्रक्रिया उसी लॉगबुक में जारी रहेगी ।

9. मुआवजे का भुगतान :–

(i) वाहन के अधिग्रहण के उपरांत वाहन चालक को जिला स्तर से दिये जाने वाले लॉग बुक में भुगतान प्रक्रिया संबंधी जानकारी स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से अंकित की जानी चाहिए। इस हेतु इस मार्गनिर्देशिका के मुआवजा भुगतान संबंधी अंश लॉगबुक के पृष्ठ भाग पर मुद्रित करा दिया जाएगा।

(ii) अधिग्रहित वाहनों की संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान विमुक्ति के समय किया जाएगा एवं निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

(क) वाहन स्वामी से लॉग बुक एवं विमुक्ति आदेश प्राप्त किया जायेगा।

(ख) वाहन स्वामी द्वारा विमुक्ति आदेश एवं लॉग बुक उपलब्ध कराये जाने पर उन्हें पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ग) भुगतान किये गये कुल राशि की प्रविष्टि वाहन पंजी एवं Vehicle Management System में करते हुए राशि प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर वाहन पंजी एवं Vehicle Management System Generated Slip पर भी प्राप्त किया जाएगा।

(घ) निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार Vehicle Management System के द्वारा Generated Calculation Slip की प्रति को भी वाहन पंजी में संधारित रखी जायगी ।

(ड0) सभी प्राप्त विमुक्ति आदेश अलग से सुरक्षित रखे जायेंगे एवं इन्हें एक रजिस्टर के रूप में बाईंड कराकर संधारित किया जाएगा।

(च) अधिग्रहित वाहनों के लिए प्रथमतः एक दिन का एवं तत्पश्चात् प्रत्येक चौथे दिन पर बीते तीन दिनों का मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। परिस्थितिजन्य कारणों से अथवा आवश्यकता के अनुरूप कम दिनों पर भी मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सकता है ।

(छ) अधिग्रहित वाहनों का दैनिक मुआवजा राशि का 80% (निकटतम पूर्णांक में) भुगतान किया जाय ।

किसी एक जिला में अधिग्रहित किन्तु विभिन्न जिलों में उपयोग में लाये गये वाहनों के मुआवजा राशि का भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(क) प्रत्येक संबंधित जिला उनके यहां प्रयुक्त समय के लिए वाहनों के मुआवजा भुगतान के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

(ख) किसी जिला में अधिग्रहित वाहन को यदि दूसरे जिला में निर्वाचन कार्य से भेजा जाता है तो उक्त वाहन का पूर्णरूपेण मुआवजा भुगतान (100%) करने के बाद उक्त जिला में जाने हेतु ईंधन की आपूर्ति करेंगे तथा उक्त जिला को प्रतिवेदित करते हुए स्थानान्तरण पत्र पर अंकित कर देंगे। पुनः नया जिला इसी प्रक्रिया को अपनायेगा।

(ग) अधिग्रहित वाहनों के एक जिला से दुसरे जिला में भेजे जाने पर पारगमन अवधि (Transit Period) के मुआवजे की राशि का भुगतान दूसरे जिला (जहाँ वाहन जायेगी) द्वारा किया जाएगा ।

(घ) "केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए कर्णांकित वाहनों की विमुक्ति पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही अंतिम जिला द्वारा किया जायेगा "।

(छ) वाहनों के अधिग्रहण के संबंध में निर्वाचन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश प्रभावी होगा ।

10. वाहनों के अधिग्रहण एवं भुगतान की संपूर्ण विवरणी, पंजी, प्रपत्रों के संधारण को पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इससे पारदर्शिता के साथ–साथ अधिग्रहित वाहनों के संबंध में डाटा एवं भुगतान की स्थिति सुगम रूप में उपलब्ध रहेगी।

11. अंकेक्षण कार्य हेतु लॉग बुक, वाहन पंजी, विमुक्ति आदेश, System Generated गणना तालिका इत्यादि आवश्यक कागजात निर्वाचन समापन के उपरान्त संभाल कर रखी जायेगी।

12. चुनाव पश्चात् वाहन कोषांग द्वारा वांछित कार्रवाई :–

प्रत्येक जिला के वाहन कोषांग की यह जिम्मेवारी होगी कि उस जिला में मूल रूप से अधिग्रहित अथवा अन्य जिला से प्राप्त/जिला में आये हुए वाहन, जिनके एक दिन के भी भुगतान की जिम्मेदारी उस जिला की हो, की प्रविष्टि वाहनों की सूची में की जाए तथा यह अंकित किया जाये कि उस वाहन को कितने दिनों के लिए भुगतान उस जिला द्वारा किया जाना है, कितने दिनों के लिए तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया था तथा कितनी राशि का भुगतान शेष है। सभी वाहनों के लिए इस प्रकार अवशेष भुगतान की वाहनवार विवरणी तैयार की जाये ताकि सभी वाहनों को देय भुगतान को योग कर जिला द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि, अर्थात् जिला की इस मद में कुल देनदारी, का आकलन

कर यह सूची वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी के रूप में समर्पित की जाये। इसकी विवरणी यथास्थिति निर्वाचन विभाग एवं गृह (विशेष) विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए। यह कार्रवाई संपन्न किये बिना वाहन कोषांग का कार्य पूर्ण नहीं माना जाये। इसमें किसी भी चूक या शिथिलता के लिए वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाये।

वाहन कोषांग द्वारा यह स्थिति मात्र वैसे वाहनों के लिए ही हो सकते है जो उक्त जिलें के ही हो एवं वाहन कोषांग में विमुक्ति हेतु उपस्थित नहीं हो पाये हो अथवा तकनीकि त्रुटियों के कारण सूचना वाहन कोषांग को नहीं दे पाये हो ।

13. अन्य जिलों से वाहन के मांग के संबंध में

चुनाव कार्य में कई जिलों द्वारा अन्य जिलों से जहॉ चुनाव कार्य समाप्त हो चुका है अथवा जहॉ वाहनों की बहुलता है, अतिरिक्त वाहनो की मॉग की जाती है । वैसे जिले अपने पदाधिकारी के साथ ईंधन राशि, अग्रिम राशि, लॉगबुक तथा पुलिस बल के साथ अधियाची जिले में जाकर वाहनों को प्राप्त करेगें तथा उसकी प्रविष्टी तुरन्त अपने Vehicle Management System में करेंगे । वाहनों को उपलब्ध कराने वाले ज़िले के परिवहन पदाधिकारी /कर्मियों का यह दायित्व होगा कि इस कार्य में अधियाची जिले के प्रतिनियुक्त कर्मियों को पर्याप्त सहयोग देना सुनिश्चित करेगें।

14. दूसरे राज्य की वाहनों के अधिग्रहण के संबंध में

वैसे वाहन जिन पर सामग्रियॉ लदी हों एवं वे दूसरे राज्य की हों उन्हें यथासंभव अधिग्रहित नहीं किया जाए । विशेष परिरिस्थिति में यदि खाली वाहनों को अधिग्रहित किया भी जाता है तो अधिग्रहण प्रपत्र अवश्य दिया जाए।

15. निर्वाचन के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के स्तर से समय–समय पर निर्गत आदेश भी इस संबंध में प्रभावी होंगे।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/सम0निर्वा0–73/2010 4550 दिनांक-- 11-09-2015

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

137

प्रपत्र-I

(वाहन अधिग्रहण-पंजी प्रारूप)

क्र. सं.	वाहन निबंधन संख्या	वाहन मालिक का नाम/पता एवं दूरभाष संख्या	चालक का नाम/पता एवं दूरभाष संख्या	वाहन अधिग्रहण की तिथि व समय	सत्यापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर व पदनाम	वाहन विमुक्ति की तिथि व समय	जिले में वाहन अधिग्रहण की कुल अवधि	देय मुआवजा का दर	देय मुआवजा की कुल राशि	तिथिवार भुगतान की गयी कुल अग्रिम राशि			शेष मुआवजा की कुल राशि	अन्य जिला हेतु स्थानान्तरण अथवा विमुक्ति की तिथि	वाहन विमुक्ति प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि	प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर [illegible]
										तिथि	राशि	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Stej carej

प्रपत्र–II

(वाहन विमुक्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

जिला का नाम:

प्रमाण पत्र सं0–   दिनांक–

1. वाहन निबंधन संख्या :
2. वाहन मालिक का नाम एवं पता :
3. चालक का नाम–पता :
4. अधिग्रहण की तिथि व समय :
5. (क) विमुक्ति की तिथि व समय :

   (ख) अन्य जिला के लिए स्थानान्तरण की तिथि व समय :

   (ग) स्थानान्तरित किए जाने वाले जिले का नाम :
6. मुआवजा का दर :
7. कुल मुआवजा राशि :
8. भुगतान की गयी अग्रिम मुआवजा की राशि :
9. शेष भुगतेय कुल मुआवजा राशि :

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वाहन बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2010 के क्रम में निर्वाचन/विधि व्यवस्था कार्य के प्रयोजनार्थ जिला.................... में दिनांक–....................से दिनांक–..................तक कुल..................दिनों तक अधिगृहीत रखा गया है। उक्त वाहन के लिये यथा उपर्युक्त शेष मुआवजा राशि का भुगतान जिला दण्डाधिकारी,....................के कार्यालय से यह विमुक्ति प्रमाण पत्र उपस्थापित करने पर पूर्व निर्धारित तिथि को, जो समाचार पत्रों के माध्यम से संसूचित की जाएगी, वाहन स्वामी अथवा उनके विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

प्राधिकृत पदाधिकारी
का हस्ताक्षर व पदनाम

लॉगबुक का नमूना

जिला – ....

बिहार विधान सभा आम चुनाव–2015

लॉगबुक संख्या–..

1. वाहन का किस्म..
2. निबंधन संख्या...बैठक क्षमता...
3. चालक का नाम...

   एवं पूरा पता...मो0नं0...
4. वाहन मालिक का नाम..

   एवं पूरा पता...मो0नं0...
5. चालक की अनुज्ञप्ति संख्या...
6. अधिग्रहण की तिथि...

   समय...पूर्वाह्न / अपराह्न
7. वाहन विमुक्ति की तिथि..

   समय...पूर्वाह्न / अपराह्न

नोडल पदाधिकारी / सहायक नोंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर
वाहन कोषांग, पटना।

अति आवश्यक : 1. कार्य समाप्ति के बाद पदाधिकारी, वाहन तथा इससे संबंधित लॉगबुक अद्यतन प्रविष्टियों के साथ वाहन कोषांग में अचूक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

2. वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी कर्म–पुस्तिका पर सुस्पष्ट अक्षरों में पूर्ण नाम, पदनाम, यात्रा का प्रयोजन, स्थान एवं तय की गई दूरी अंक और अक्षरों में अंकित करेंगें।

नोट :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निर्वाचन कार्य से संबद्ध व्यवसायिक वाहनों, इस लॉगबुक के नमूने के अनुरूप, पीले रंग का; विधि व्यवस्था कार्य से संबद्ध व्यवसायिक वाहनों हेतु लाल रंग का; राज्य पुलिस बल से संबद्ध व्यवसायिक वाहनों के लिए हल्के हरे रंग का एवं निर्वाचन कार्य से संबद्ध सरकारी वाहनों के लिए उजले रंग का अलग–अलग लॉगबुक प्रकाशित करायेंगें।

वाहन–आवंटन की विवरणी

तिथि	पदाधिकारी का नाम एवं विवरण–पेट्रोलिंग पार्टी/जोनल पार्टी/सेक्टर पार्टी आदि का विवरण जिन्हें वाहन आवंटित किया गया।	वाहन लौटाने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4

लॉगबुक का नमूना

जिला – ....

बिहार विधान सभा आम चुनाव–2015

कर्म पुस्तिका संख्या–...

राज्य पुलिस बल से संबंद्ध व्यवसायिक वाहन

1. वाहन का किस्म...

2. निबंधन संख्या...बैठक क्षमता..

3. चालक का नाम..

   एवं पूरा पता...मो0नं0..

4. वाहन मालिक का नाम..

   एवं पूरा पता...मो0नं0..

5. चालक की अनुज्ञप्ति संख्या..

6. अधिग्रहण की तिथि..

   समय...पूर्वाह्न/अपराह्न

7. वाहन विमुक्ति की तिथि..

   समय...पूर्वाह्न/अपराह्न

नोडल पदाधिकारी/सहायक नोंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर
वाहन कोषांग, पटना।

अति आवश्यक : 1. कार्य समाप्ति के बाद पदाधिकारी, वाहन तथा इससे संबंधित लॉगबुक अद्यतन प्रविष्टियों के साथ वाहन कोषांग में अचूक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

2. वाहन प्रयोग करने वाले पदाधिकारी कर्म–पुस्तिका पर सुस्पष्ट अक्षरों में पूर्ण नाम, पदनाम, यात्रा का प्रयोजन, स्थान एवं तय की गई दूरी अंक और अक्षरों में अंकित करेंगें।

चुनाव अवधि में प्राप्त किये गये ईंधन/अग्रिम की विवरणी

ईंधन की विवरणी (मात्रा लीटर में)					अग्रिम राशि की विवरणी (प्राप्त की गई राशि)		
तिथि	पेट्रोल	डीजल	मोबिल	अन्य	तिथि	अंको में	अक्षरों में

तिथि	यात्रा का पूरा विवरण	तय की गई दूरी/माईल मीटर कार्यरत हो, तो रीडिंग की प्रविष्टि	पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम
1	2	3	4

ईंधन/अग्रिम का विवरण (मुहर लगाकर प्रविष्टि)

ईंधन/अग्रिम का विवरण (मुहर लगाकर प्रविष्टि)

तिथि	यात्रा का पूरा विवरण	तय की गई दूरी/माइल मीटर कार्यरत हो, तो रीडिंग की प्रविष्टि	पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पदनाम
1	2	3	4

दिये गये ईंधनादि/अग्रिम की गणना / शुद्ध भुगतेय/वसूलनीय राशि

................................समाहरणालय..........................

(बिहार विधान सभा आम चुनाव–2015)

वाहन कोषांग

बिहार विधान सभा निर्वाचन–2015 के अवसर पर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन चालकों/मालिकों एवं कोषांग के काउन्टर पर प्रतिनियुक्त सहायकों के लिए आवश्यक दिशानिर्देश :–

1. निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों के चालक वाहन कोषांग में रिर्पोट करते हों, संबंधित वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र एवं चालक अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति के साथ लॉग बुक खोलनेवाले एवं अन्य कार्यो के लिए निर्धारित काउन्टर पर पहुँचकर लॉग बुक खुलवा लेंगे। इन कागजातों के प्रस्तुत किए बिना अग्रिम इत्यादि के भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है।

2. कोषांग के काउन्टर पर प्रतिनियुक्त सहायक ऐसे अधिग्रहित वाहनों के कोषांग में रिर्पोट करते हीं वाहन चालकों से संबंधित वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र एवं चालक अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति कराकर लॉग बुक खोलेंगे।

3. काउन्टर पर प्रतिनियुक्त सहायक लॉग बुक के सभी स्तम्भों की प्रविष्टियां सुनिश्चित करेंगें तथा वाहनों के चालकों/मालिकों से उपयुक्त वांछित कागजातों की छायाप्रति प्राप्त कर लेंगे, तदुपरान्त लॉग बुक हस्ताक्षर के लिए पदाधिकारी के समक्ष रखेंगें तथा अग्रिम विपत्र तैयार करेंगें।

..............................समाहरणालय..........................
(बिहार विधान सभा आम चुनाव–2015
वाहन कोषांग

बिहार विधान सभा निर्वाचन–2015 के अवसर पर निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन को देय मुआवजा प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक जानकारी :–

1. बिहार विधान सभा निर्वाचन–2015 के अवसर पर निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजा राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–...................... दिनांक–.............................. द्वारा निर्धारित की गई है। जिसकी प्रति मांगने पर जिला स्तरीय वाहन कोषांग द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है। .... जिलें में निर्वाचन कार्यो के लिए अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के मुआवजा का भुगतान निर्वाचन कार्य समाप्ति के प्रायः एक माह के अन्दर कर दिया जाता है। आसन्न निर्वाचन–2014 के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों को देय मुआवजा का शत् प्रतिशत भुगतान निर्वाचन कार्य समाप्ति के एक माह के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय, .../जिला नजारत, ...द्वारा वाहन विमुक्ति आदेश (मूल प्रति), वाहनों के निबंधन प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ–साथ उचित पहचान पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आदाता चेक द्वारा किया जाएगा।

2. देय मुआवजा प्राप्ति में विलम्ब नही हो इसके लिए ऐसे अधिग्रहित सभी व्यवसायिक वाहनों के चालक/मालिक निर्वाचन कार्य समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित वाहनों का लॉग बुक पूर्ण प्रविष्टियों के साथ (जिसके द्वारा वाहन निर्वाचन कार्य में प्रत्युक्त किया गया है, उनके हस्ताक्षर के साथ) वाहन कोषांग में जमा करा कर वाहन विमुक्ति का आदेश प्राप्त कर लेंगें।

3. समय पर लॉग बुक जमा नही करने पर मुआवजा भुगतान में हुए विलंब के लिए वाहन चालक/मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4. व्यवसायिक वाहनों को शत् प्रतिशत मुआवजा के भुगतान की तिथियाँ ससमय प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जायेगी।

..............................समाहरणालय.........................

(बिहार विधान सभा आम चुनाव–2015)

<u>वाहन कोषांग</u>

<u>बिहार विधान सभा निर्वाचन–2015 के अवसर पर निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के निमित अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन को देय मुआवजा की गणना के संबंध में आवश्यक जानकारी :–</u>

1. बिहार विधान सभा निर्वाचन–2015 के अवसर पर अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजा की गणना राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–...................... दिनांक–.............................. द्वारा जिलों को संसुचित पत्र के आलोक में की जाएगी। ऐसे अधिग्रहित व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजे की गणना वाहन अधिग्रहण की तिथि एवं वाहनों की विमुक्ति की तिथियों को आधार मानकर की जाएगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों की तिथि के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जाएगा। (राज्य परिवहन आयुक्त का पत्रांक .... दिनांक ....)

2. ऐसे अधिग्रहित व्यवसायिक वाहनों को देय मुआवजा की गणना वाहनों को दिये गए अग्रिम और ऐसे वाहनों में समय–समय पर आपूर्ति ईंधनादि के आलोक में तय की गई दूरी (सरकार द्वारा निर्धारित) इत्यादि के समायोजन के पश्चात अवशेष राशि जो देय होगी, इसका भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालय, .../जिला नजारत, ... द्वारा आदाता चेक के माध्यम से उचित पहचान पत्र यथा वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र, वाहन विमुक्ति आदेश प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

3. मुआवजा भुगतान की सूचना हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी।